

उत्तराखण्ड शासन
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 245/XLI-1/2016-61/09
देहरादून : दिनांक : 15 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध राजकीय/महिला/ग्रामीण एवं राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित अनुदानित पालिटेक्निक संस्थानों के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-752-ए/XXIV(8)/10-61/09 दिनांक 08.06.2010 के द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया था। अब सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्न तालिका के कालम-4 में उल्लिखित शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

(धनराशि रुपये में)

क.सं.	राजकीय/सहायता प्राप्त पालिटेक्निकों हेतु शुल्क की मर्दें	पूर्व निर्धारित वार्षिक शुल्क	शैक्षिक सत्र 2016-17 से निर्धारित शुल्क की वार्षिक दरें।
1	2	3	4
1	शिक्षण शुल्क	6000	8000
	छात्रनिधि शुल्क		
	1. प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबन्धन	50	50
	2. परिचयन पत्र शुल्क	50	50
	3. कीड़ा शुल्क	250	250
	4. वार्षिकोत्सव शुल्क	100	100
	5. शैक्षिक परीक्षा शुल्क	200	100
	6. मैगजीन शुल्क	100	100
	7. हॉबी सेंटर शुल्क	50	50
	8. विद्युत शुल्क	700	1000
2	9. कॉसन मनी संस्थागत	200	100
	10. शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300	300
	11. अनुरक्षण शुल्क	1000	1500
	12. कम्प्यूटर/इंटरनेट शुल्क	250	500
	13. विकास/भवन विकास शुल्क	300	500
	14. पुस्तकालय शुल्क	100	100
	15. छात्र वैलफेयर शुल्क	100	100
	16. एन.सी.सी. शुल्क	100	100
	17. पुस्तकालय काशन मनी	100	100
	योग:-	3950	5000
	छात्रावास शुल्क		
	1. छात्रावास शुल्क	600	600
	2. छात्रावास काशन मनी	200	200
3	3. छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	1000	2000
	4. छात्रावास विद्युत शुल्क	700	1100
	5. बर्तन चन्दा	50	100
	योग:-	2550	4000

5170
10/2/16

बोर्ड परीक्षा शुल्क	500	राजकीय-500
मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)		निजी क्षेत्र-500
परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	200	200
4 बैंक पेपर परीक्षा शुल्क (समान रूप से)	200/-प्रति विषय	200
स्कूटनी शुल्क	250/-प्रति विषय	250
अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20	20
(परिषद द्वारा निर्गत करने पर)	30	30
पुनर्मुल्यांकन	2000/-प्रति विषय	2000

- उपर्युक्त शुल्क में से शिक्षण शुल्क, छात्र निधि शुल्क एवं छात्रावास शुल्क छात्रों से संग्रह करने के लिए प्रेषित किए जायेंगे।
- उपर्युक्त बढ़ा हुआ शुल्क शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रवेशित नये छात्रों से ही लिया जायेगा। पुराने छात्रों से पूर्व का शुल्क ही लिया जायेगा।
- शुल्क के संबंध में पूर्व में निर्गत किये गये शासनादेश/कार्यालय आदेश आदि उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 242 (1)/XLI-I/2016-61/09 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
- सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
- सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा, रूडकी।
- संयुक्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालिटेक्निक के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक)
- निदेशक, एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड
श्रीनगर (गढ़वाल)।

पत्रांक 5092 /नि०प्रा०शि०/जनरल/2015-16, दिनांक 24/02/2016।

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(देश राज)
संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड।